अपील सूचना अधिकार संख्या 33/2017 अनवानी स्वीटी उर्फ वीरपाल कौर, आजीवन निदेशक व सचिव, अनुपमा एज्यूकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट, 50 बी ब्लॉक, के.आर.स्कूल के सामने, श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02–05–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीया स्वीटी उर्फ वीरपाल कौर उपस्थिति है। उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का प्रतिवेदन सं0 2746 दिनांक 01.05.17 शामिल किया गया। अपीलार्थीया को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2017 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से कुल 7 बिन्दुओ की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 22.03.17 के द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है, जो उसे पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 2746 दिनांक 01.05.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीया द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1781 दिनांक 22.03.2017 के द्वारा अपीलार्थीया को उपलब्ध करवा दी गई है:–

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा पत्र सं0 1781 दिनांक 22.03.17 से अपीलार्थीया को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 01 की सूचना में इस कार्यालय में निम्नांकित कर्मचारी कार्यरत है:–
> 1– श्री जगदीश चराया (लि0 ग्रेड प्रथम)
> 2– श्री मदनलाल (लि0 ग्रेड प्रथम)
> 3– श्री सुनील कुमार (लि0 ग्रेड द्वितीय)
> 4– सुश्री कुसुम आहुजा (सूचना सहायक)
> 5– श्री रामप्रकाश (सहायक कर्मचारी तहसील पदमपुर से प्रतिनियुक्त)
> 6– श्री राम सिंह (फायरमैन, नगरपालिका पदमपुर से प्रतिनियुक्त)
> 7– श्री बलविन्द्र सिंह (सहायक कर्मचारी, जन.स्वा. अभि. विभाग से प्रतिनियुक्त)
>
> बिन्दु सं0 2 की सूचना के संबंध में जबाब है कि संविदा पर वर्तमान में कोई कर्मचारी नही है। बिन्दु सं0 3 के संबंध में सूचना है कि उपखण्ड कार्यालय पदमपुर में आईसीसी आन्तरिक शिकायत का गठन कर्मचारियों की संख्या 10 से कम होने के कारण नही किया गया है। इसलिए बिन्दु सं0 3 के संबंध में सूचना दिया जाना संभव नही है।
>
> शेष बिन्दु संख्या 4 से 7 की सूचना इस विभाग से संबंधित नही है। संबंधित विभाग को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सूचना प्राप्त की जा सकती है, सूचना एकत्रित कर नही दी जा सकती।

ह0/–
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थीया को दिये गये उक्त उत्तर से स्पष्ट है कि बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना अपीलार्थीया को उपलब्ध करवाई जा चुकी है और बिन्दु सं0 4 से 7 की सूचना उनके कार्यालय से संबंधित नही होने से उपलब्ध नही करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत **किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि **सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 3 के तहत भारत के नागरिक को ही सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।** चूंकि अपीलार्थीया ने आजीवन निदेशक व सचिव, अनुपमा एज्यूकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट की हैसियत से सूचनाएं चाही है जो भारतीय नागरिक की श्रेणी में नही आता है। फिर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थीया को उक्तानुसार बिन्दु सं0 1 से 3 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है और जहां तक बिन्दु सं0 4 से 7 की सूचनाओ का संबंध है, अपीलार्थीया को संबंधित लोक सूचना अधिकारीयों के समक्ष कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।

996-97
12-5-17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर एवं अपीलार्थीया को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 01.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर